समाचार

नोवल कोरोना वायरस

मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग उल्लंघन पर प्रशासन, निगम व पुलिस ने की संयुक्त कार्यवाही

(उल्लंघन करने वालों पर लगा अर्थदण्ड, दी कड़ी हिदायत, एस.डी.एम. व अपर आयुक्त की देखरेख में हुई कार्यवाही)

कोरबा 28 नवम्बर 2020 –बिना मास्क पहने सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग उल्लंघन करने वालों पर आज जिला प्रशासन, नगर निगम व पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए अर्थदण्ड लगाया। एस.डी.एम. श्री सुनील नायक एवं निगम के अपर आयुक्त श्री अशोक शर्मा की देखरेख में कोसाबाड़ी निहारिका घंटाघर क्षेत्र में यह संयुक्त कार्यवाही की गई, इसके साथ ही निगम के विभिन्न जोन में निगम अमले ने कार्यवाही करते हुए आज कुल 20200 रूपये का अर्थदण्ड लगाया।

नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा लगातार बरकरार है तथा अभी भी प्रतिदिन काफी संख्या में कोरोना पाजिटिव मरीज मिल रहे हैं। जिला प्रशासन एवं नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए लगातार जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं किन्तु लोगों द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने हेतु कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है, वे बिना मास्क पहने घरों से बाहर निकलकर सार्वजनिक स्थानों पर पहुंच रहे हैं तथा कोविड–19 के प्रोटोकाल का पालन न करने से संक्रमण का और अधिक प्रसार होने की संभावना बढ़ रही है। नगर निगम के अमले द्वारा लगातार इस पर कार्यवाही की जा रही है तथा लोगों को कोविड–19 के प्रोटोकाल का पालन अनिवार्य रूप से करने की समझाईश देने के साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अर्थदण्ड लगाया जा रहा है। आज निगम के अपर आयुक्त श्री अशोक शर्मा एवं एस.डी.एम.श्री सुनील नायक ने कोसाबाड़ी निहारिका, घंटाघर क्षेत्र में अमले के साथ पहुंचकर स्वयं की देखरेख में यह कार्यवाही कराई तथा लोगों को समझाईश दी कि वे बिना मास्क पहने घरों से बाहर न निकले, सार्वजनिक स्थानों,दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने में अपना सहयोग दें। इस मौके पर एस.डी.एम. श्री सुनील नायक ने बताया कि कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल के निर्देश पर शहर के चौक–चौराहों पर टीम बनाकर बिना मास्क वाले लोगों पर जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है, जो निरंतर आगे भी जारी रहेगी।

<u>20200 रूपये का लगा अर्थदण्ड</u>– इसी कड़ी में आज मास्क न पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों पर कार्यवाही करते हुए निगम अमले ने 20200 रूपये का अर्थदण्ड लगाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार निगम के कोरबा जोनांतर्गत 1800 रूपये, टी.पी.नगर जोनांतर्गत 1400 रूपये, कोसाबाड़ी जोनांतर्गत 6300 रूपये, रविशंकर शुक्ल जोनांतर्गत 1100 रूपये, बालको जोनांतर्गत 3600 रूपये, दर्री जोनांतर्गत 2800 रूपये, बांकीमोंगरा जोनांतर्गत 2000 रूपये तथा सर्वमंगला जोनांतर्गत 1200 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया।

<u>दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से कराएं</u> –निगम अमले द्वारा बाजारों, व्यवसायिक परिसरों में पहुंचकर दुकानदारों, प्रतिष्ठान संचालकों को लगातार समझाईश दी जा रही है कि वे अपनी दुकानों, प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन कराएं, इस हेतु आवश्यक मार्किंग व्यवस्था करें, ताकि दुकानों में पहुंचने वाले ग्राहकों के मध्य निर्धारित दूरी बनी रहे, दुकानों प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना संबंधित दुकानदार की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही जो ग्राहक मास्क पहने बिना दुकान पर आता है, उसे दुकान में प्रवेश न करने दें, मास्क लगाने की समझाईश दें।